

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त कुमाऊं एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

संख्या: UKHFWS/COVID-19/2019-20/361

दिनांक: 24 मई, 2020

विषय: भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार रेड ज़ोन, ऑरेंज ज़ोन व ग्रीन ज़ोन का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संलग्न आदेश संख्या: 40-10/2020-DM- 1(A) दिनांक 17 मई, 2020 के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित किये जाने हेतु तालाबन्दी की अवधि को दिनांक 31 मई, 2020 तक विस्तारित किया गया है। उपरोक्त आदेश के पैरा 5 (i) में यह निर्देशित किया गया है कि सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न जनपदों का उपरोक्त वर्गीकरण किया जायेगा। उक्त सम्बन्ध में दिनांक 20 मई, 2020 को पत्र संख्या 264/नि0सं0-मु0स0/2020 के माध्यम से जनपदों को रेड, औरेन्ज व ग्रीन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पत्र संख्या.....के क्रम में निम्न वर्गीकरण किया जाता है।

क्र. सं०	जनपद का नाम	वर्गीकरण
1	अल्मोड़ा	Orange
2	बागेश्वर	Orange
3	चमोली	Orange
4	चम्पावत	Orange
5	देहरादून	Orange
6	हरिद्वार	Orange
7	नैनीताल	Orange
8	पौड़ी गढ़वाल	Orange
9	पिथौरागढ़	Orange
10	रूद्रप्रयाग	Orange
11	टिहरी गढ़वाल	Orange
12	उधमसिंह नगर	Orange
13	उत्तरकाशी	Orange

12

- सभी सम्बन्धित जिलाधिकारी उपरोक्त वर्गीकरण के अनुरूप राज्य कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के द्वारा जारी आदेश संख्या 184/USDMA. 792-(2020), दिनांक 18 मई, 2020 का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।